९७५/९६५ दिनांक 3/8/15

दैनिक जागरण

अब जमीनी काम करने वाले कृषि वैज्ञानिकों को ही मिलेगी तरजीह

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

कसा शिकंजा

- शोध पत्र व वैज्ञानिक सम्मेलनों के सहारे प्रोन्नति वालों के लदेंगे दिन

जमीनी काम करने वाले कृषि वैज्ञानिकों को तरजीह मिलेगी, जबकि शोध पत्र व वैज्ञानिक सम्मेलनों के सहारे प्रोन्नति पाने वालों के दिन लदेंगे। वैज्ञानिकों को अपनी शोध परियोजनाओं के नतीजे और उससे खेती को होने वाले व्यावहारिक लाभ का ब्योरा देना होगा। इसके मुकाबले कृषि प्रसार के मोर्चे और किसानों के खेत पर प्रदर्शन करने वाले वैज्ञानिकों के दिन बहुरने वाले हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के एक सौ संस्थानों के निदेशकों व आला अफसरों के अधिकारों में कटौती होनी तय है।

आइसीएआर में राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ फील्ड में काम करने वाले वैज्ञानिकों के भी प्रवेश का रास्ता खोलने का प्रस्ताव है। गुटबंदी और पुराने तौर तरीके से प्रोन्नति लेकर बड़े पदों पर कुंडली मारकर बैठने वाले आला अफसरों को जमीन पर उतारने का प्रावधान किया जा रहा है। कृषि अनुसंधान व विकास को गति देने के लिए कृषि मंत्रालय ने दिसंबर 2014 में करनाल में आइसीएआर के सभी एक सौ संस्थानों के निदेशकों, देशभर के 73 कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य आला अफ़सरों की बैठक बुलाई थी। बैठक में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह व कृषि राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालियान ने हिस्सा लिया था। इसमें आइसीएआर की कार्यप्रणाली में बदलाव का फैसला किया गया था। शोध पत्रों और सम्मेलनों में हिस्सा लेकर अपनी फाइल मोटी करने वाले वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाने की जगह जमीनी काम करने वालों को प्रोत्साहन देने का फैसला किया गया था। इसी दौरान एक्सटेंशन का मोर्चा संभालने वाले वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने पर सहमति बनी थी।सूत्रों के मुताबिक परिषद के संस्थानों के निदेशकों को मिले अधिकारों में कटौती की जाएगी। मनमाने तौर तरीके पर पाबंदी लगेगी। आइसीएआर का कोई भी संस्थान सालभर में एक से ज्यादा कांफ्रेंस नहीं कर सकेगा। सम्मेलनों में भाग लेने के लिए सभी वैज्ञानिकों को मंत्रालय से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रोमोशन का आधार किसी भी तरह शोध पत्र और सम्मेलनों में हिस्सा लेना ही नहीं होगा। करनाल बैठक के फैसले पर अब तक अमल न होने पर कृषि राज्यमंत्री डॉ. बालियान ने सख्त आपत्ति जताई है। इसे लेकर जल्दी ही आला अफसरों को फटकार लगाई जा सकती है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी इससे सहमत है। नई प्रजातियां विकसित करने और शोध परियोजनाओं के प्ररिणाम बताना जरूरी होगा। उसके बाद ही उनके शोध पत्र को मान्यता मिल सकेगी।

सुनीता गुप्ता 3/8/15
प्रभारी, पत्रिका एवं समाचार पत्र अनु०

प्रतिलिपि -:

1- निजी सचिव, निदेशक कार्यालय
2- निजी सचिव, संयुक्त निदेशक (प्रसार)
3- निजी सचिव, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान)
4- निजी सचिव, अधिष्ठाता संयुक्त निदेशक (शिक्षा)
5- प्रभारी, पी० एम० ई
6- प्रभारी, कैटैट
7- प्रभारी, ए० के० एम० यू०